

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, गु.

वाराचन्द्र

बनाम छोषी डेवी

किस्म मुकद्दमा

दावा

मु. नं.

53/2025

वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
20/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील नाडी व वाडी स्वयं अनु.। वकील नाडी व वाडी स्वयं को बाड-बाड आनाम लगवाई गई। उम्त के बानगुद न्यायालय समय में लाभंगल तक भी वकील नाडी व वाडी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्वरुप पर अफम फेंदनी। अफम हाजिरी में खारिज किए जाने के आदेश दिने जाते हैं। पत्रावली कैलल शुभाड होकर बाद तकमील दखिल कर्तव्य हो।</p>



उपसखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

